मालिकों से कर्मचारी भविष्य निधि की बहुत बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1969 को कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या सरकार ने उनसे बकाया राशि वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)**: कोयला खानों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के प्रशासन का काम कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित न्यासियों के बोर्ड का है और केन्द्रीय सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्थिति इस प्रकार है :—

(क) और (ख). 31 मार्च, 1969 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है। 31 मार्च, 1968 को कुल बकाया राशि 4.42,12,046 रु० थी।

(ग) और (घ). निधि ने बकाया राशि की वसूली के लिए कुछ बकायादार नियोजकों के विरुद्ध उक्त अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार अभियोजन और प्रमाण-पत्र के मामलों के रूप में कानूनी कार्यवाही की है। निधि सम्बन्धी न्यासियों के बोर्ड की वसूली समिति भी बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए मामलों की जांच कर रही है और कुछ मामलों में कोयलाखानों के मालिकों को बकाया राशि किश्तों में चुकाने की अनुमति दी गई है।

### अनाज की कीमतें

6666. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी फसल होने के कारण कई राज्यों में खुले बाजार में अनाज की कीमतें कम हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों (1967-1969) के कीमतों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या खुले बाजार में कीमतों के गिर जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राशन की सरकारी दुकानों पर बेचे जाने वाले अनाज की कीमतों को कम करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) आरम्भिक मौसमी गिरावट के बाद हाल ही में खरीफ अनाजों के मूल्यों में आम तौर पर बढ़ोतरी का रुख आया है। नई फसल की आमद के कारण गेहूं के मूल्यों में मामूली गिरावट आयी है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-796/69]

(ग) और (घ). सरकारी स्रोतों से दिए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य बिना लाभ बिना हानि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। सरकार का खुले बाजार में मूल्यों की बढ़ोतरी तथा गिरावट की प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए मूल्यों में संशोधन करने का कोई इरादा नहीं है।

### सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई हिन्दी फिल्में

6667. **श्री देवेन सेन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से अब तक केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कितनी हिन्दी फिल्में पास की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त बोर्ड द्वारा पास की गई कुछ फिल्मों के विरुद्ध न्यायालयों

में राज्य सरकारों ने मुकदमे दायर किये थे; और

(ग) यदि हां, तो किस-किस राज्य ने किन-किन फिल्मों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये और उन फ़िल्मों के निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा न्यायालयों द्वारा उनमें क्या निर्णय दिया गया ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (इ० कु० गुजराल)** (क) 1 जनवरी, 1967 से 28 फरवरी, 1969 की अवधि में केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा हिन्दी की 168 फीचर फिल्में पास की गई थीं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों तथा केन्द्र प्रशासित प्रशासनों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**'Goraksha' Agitation**

6668. SHRI D.N. PATODIA:
DR. SUSHILA NAYAR:
SHRI RAM GOPAL SHALWALE:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Sarvadaliya Goraksha Samiti propose to launch shortly ar all India agitation in support of its demand for a total ban on cow slaughter; and

(b) if so, Government's reaction in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION(SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Reports have appeared in the press from time to time to the effect that agitation will be launched in support of a total ban on cow slaughter by Coraksha Mahabhiyan Samiti. Government have, however, not received any communication in this regard from the Samiti directly.

(b) Government are anxious that Samiti representatives on the Cow Protection Committee should cooperate with the Committee in submitting its report, instead of thinking of agitation.

**मद्रास पत्तन में हड़ताल**

6669. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन के मजदूरों ने मार्च के आरम्भ में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है;

(ग) इन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या मजदूरों के साथ कोई समझौता हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद)** : (क) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा नियोजित लगभग 300 गोदी श्रमिक 28 फरवरी, 1969 को तीसरी पारी से हड़ताल पर चले गये। सहानुभूति में, 800 सूचीबद्ध श्रमिकों ने भी उसी दिन तीसरी पारी से हड़ताल कर दी। मद्रास के प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), की मध्यस्थता से यह हड़ताल 2 मार्च, 1969 को तीसरी पारी से समाप्त हो गई।

(ख) श्रमिकों की मांग मद्रास के प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के उस निर्णय की कथित अनुचित क्रियान्वित के बारे में थी जो मद्रास पत्तन में नौभरकों द्वारा अनियत श्रमिकों के रोजगार के बारे में था।